न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 55 / 2023

जीसीएमएस संख्या :– 62 / 2023

उनवान

1. सुरजन सिंह पुत्र श्री हसहाय सिंह जाति राजपूत उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर।

– वादी

बनाम

1. शैतान पुत्र हनुमान
2. धन्ना लाल पुत्र रामू राम
3. बाबूलाल पुत्र रामू
4. झाबर मल पुत्र रामू
5. बाबूलाल पुत्र सुरज मल
6. सीताराम पुत्र मालीराम
7. बंशी पुत्र मालीराम
8. बनवारी पुत्र शैतान
9. जितेन्द्र पुत्र
10. विकास पुत्र
11. मंजू पत्नी झाबर मल
12. मंजू पत्नी धन्ना
13. राजू पत्नी बाबूलाल
14. प्रेम पत्नी शैतान
15. नाथी पत्नी रामू
16. अंजू पत्नी बनवारी

समस्त वयस्त जातियान जाट, निवासीयान धानोता पुलिस थाना अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मंगल चन्द यादव, वादी की ओर से

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :- 16.04.2025

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि वादी की खातेदारी भूमि आराजी खसरा न 698 रकबा 2.65 हैक्ट वाके ग्राम धानोता पटवार हल्का धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज मे स्थित है। हाल जमाबंदी वाद पत्र के साथ सलग्न है। यहकि वादी भूतपूर्व सैनिक है जिसे शौर्य पुरूस्कार स्वरूप वाद पत्र के जिमन नं 1 में वर्णित आराजीयात उसे वर्ष 1966 में अलॉट हुई थी। तभी से वादी उक्त आराजीयात पर काबिज रहकर शातिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। यहकि वाद पत्र के मद न 1 मे वर्णित आराजीयात से प्रतिवादी स 1 लगायत 16 का कोई संबध या सरोकार नही है। प्रतिवादीगण वादी से अदावट रखते है तथा आये दिन वादी की उक्त आराजीयात की सीमा को काटते रहते है जिससे परेशान होकर वादी मान्य श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र वादी की जमीन की पत्थरगढी करने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर मान्य न्यायालय द्वारा दिनाक 18.10 2022 को वादी के उक्त आराजीयात की नियमानुसार पत्थरगढी करने का आदेश फरमाया गया इसकी जानकारी प्रतिवादीगण को होने पर आये दिन प्रतिवादीगण वादी की भूमि मे जबरन घुसकर व्यवधान पैदा करने लगे तथा वादी को शांतिपूर्वक कब्जा काश्त नहीं करने दे रहे है। यहकि वादी एक भूतपूर्व सैनिक रहा है तथा वर्तमान मे बुजुर्ग व्यक्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उक्त आराजीयात मे व्यवधान पैदा करने पर तथा लडाई झगडा करने पर प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 09.01 2022 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अमरसर जिला जयपुर मे नंबरी 9/2022 अपराध अंतर्गत धारा 143, 188, 447, 504, 506 आईपीसी में दर्ज करवाई। इसी प्रकार दिनाक 01.04.2023 को प्रतिवादीगण वादी की उपरोक्त खातेदारी मे जबरन घुस गये तथ जेसीबी चलाकर रास्ता निकालने लग गये। बडी मुश्किल से वादी व उसकी पत्नी द्वारा उनको रोका तो उनके साथ प्रतिवादीगण ने मारपीट की तथा एलानियाधमकी दी कि हम तुम्हारी उक्त जमीन मे से जबरन रास्ता निकालेगे तथा कब्जा करेगे इस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनाक 0104 2023 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 72/2023 पुलिस थाना अमरसर मे अपराध अतर्गत धारा 143 147 341 323 504 506 आईपीसी में दर्ज करवाई इससे प्रतिवादीगण और भी उग्र हो गये तथा दिनाक 04 04 2023 को प्रतिवादीगण एकराय होकर फिर दुबारा से ट्रेक्टर जेसीबी से वादी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात मे रास्ता निकालने लगे जब वादी व उसकी पत्नी ने उन्हें रोका तो उनके साथ मे मारपीट की तथा उन्हे जबरन घसीटकर ले गये तथा एलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारी उक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा करके रहेगे। इसलिये उक्त दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है। यहकि प्रतिवादीगण संख्या बल में अधिक है तथा राजनैतिक पहुच

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

वाले बाहुबली व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक बल पर वादी के हक व अधिकार की भूमि पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल करना चाहते है। जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है। क्योंकि यदि प्रतिवादीगण वादी को उसके हक अधिकार की उपरोक्त आराजीयात पर जबरन कब्जा कर वादी को बेदखल कर दिया गया तो वादी को अपूरणीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि से किया जाना संभव नहीं है इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

अन्त में निवेदन किया कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण, वादी की आराजी खसरा नं. 698 रकबा 265 हैक्ट. वाके ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज में अवैध रूप से प्रवेश नही करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का रास्ता नही निकाले, अतिक्रमण नही करे, वादी को बेदखल नही करे तथा प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे ऐसा कृत्य अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट से भी नही करवाये एवं दौराने दावा प्रतिवादीगण द्वारा वादी की उपरोक्त आराजीयात पर किसी प्रकार का कच्चा पक्का रास्ता, जबरन बना लिया जाता है तो उसे उनके खर्चे पर खाली करवाने के आदेश फरमावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में दिनांक 28.03.2024 को प्रतिवादीगण बाद तामील व बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में सुरजन सिंह एवं लाल सिंह के साक्ष्यवादी में शपथ–पत्र पेश किये। प्रकरण में प्रदर्श संख्या – 1 (जमाबंदी संवत 2074–2077), प्रदर्श संख्या – 2 (आराजी खसरा नंबर 698 का नक्शा), प्रदर्श संख्या –3 (कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण, जयपुर की परिवाद/शिकायत प्रार्थना–पत्र की रसीद) कायम किये गये। वकील वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया । हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन करने पर पाया गया कि विवादित आराजी वादीगण के नाम खातेदारी मे दर्ज है एवं वादी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, जिसकी पुष्टि प्रदर्श संख्या – 1 व 2 से बखूबी साबित होती है। वादीगण अपने वाद को साबित करने में सफल रहे है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित समझते है।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि आराजी खसरा नं. 698 रकबा 2.65 है0 वाकै ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि से अथवा भूमि के किसी भाग से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे और ना ही वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.04.25 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, **R.A.S**)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर राज.
सत्यमेव जयते
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 55/2023

जीसीएमएस संख्या :– 62/2023

उनवान

1. सुरजन सिंह पुत्र श्री हसहाय सिंह जाति राजपूत उम्र 79 वर्ष निवासी ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा, पुलिस थाना अमरसर, जिला जयपुर।

– वादी

बनाम

1. शैतान पुत्र हनुमान
2. धन्ना लाल पुत्र रामू राम
3. बाबूलाल पुत्र रामू
4. झाबर मल पुत्र रामू
5. बाबूलाल पुत्र सुरज मल
6. सीताराम पुत्र मालीराम
7. बंशी पुत्र मालीराम
8. बनवारी पुत्र शैतान
9. जितेन्द्र पुत्र
10. विकास पुत्र
11. मंजू पत्नी झाबर मल
12. मंजू पत्नी धन्ना
13. राजू पत्नी बाबूलाल
14. प्रेम पत्नी शैतान
15. नाथी पत्नी रामू
16. अंजू पत्नी बनवारी

समस्त वयस्त जातियान जाट, निवासीयान धानोता पुलिस थाना अमरसर तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

17. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

– प्रतिवादीगण

न्यायालय सहायक कलक्टर • शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. • सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

उपस्थिति अधिवक्तागण :–

1. श्री मंगल चन्द यादव, वादी की ओर से

<u>वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :– 16.04.2025

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादी का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि आराजी खसरा नं. 698 रकबा 2.65 है0 वाकै ग्राम धानोता तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि से अथवा भूमि के किसी भाग से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे और ना ही वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में कोई मजाहमत पैदा करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 16.04.25 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज. सत्यमेव जयते

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर, ग्रामीण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner